



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220145
CG-DL-E-24062020-220145

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1807]
No. 1807]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ 3, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASADHA 3, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

कराधान और अन्य विधि

का.आ.2033(अ).—केंद्रीय सरकार, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट देना) अध्यादेश, 2020 (2020 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अध्यादेश कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि—

- (i) 31 दिसंबर, 2020 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी, जिसके दौरान विनिर्दिष्ट अधिनियम में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित या अधिसूचित समय-सीमा ऐसी कार्रवाई के, जो उक्त उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट है, पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए है ; और
- (ii) 31 मार्च, 2021 ऐसी अंतिम तारीख होगी, जिसके लिए ऐसी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए समय-सीमा को विस्तारित किया जाएगा :

परंतु जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम आय-कर अधिनियम, 1961 है और अनुपालन—

- (i) उसकी धारा 139 के अधीन विवरणी देने के संबंध में है—

- (क) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम तारीख को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया जाएगा ;
- (ख) वहां 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम तारीख को 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाया जाएगा ;
- (ii) यथास्थिति, फरवरी या मार्च, 2020 के लिए या 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए धारा 200 की उपधारा (2क) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का विवरण देने या उसकी धारा 206ग की उपधारा (3क) के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण का विवरण देने के संबंध में है, वहां अंतिम तारीख को 15 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया जाएगा ;
- (iii) यथास्थिति, फरवरी या मार्च, 2020 के लिए या 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए उसकी धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का विवरण देने या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण का विवरण देने के संबंध में है, वहां अंतिम तारीख को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया जाएगा ;
- (iv) उस अधिनियम की धारा 192 के अधीन कर की कटौती या उसके संदाय के संबंध में उसकी धारा 203 के अधीन प्रमाणपत्र देने के संबंध में है, वहां अंतिम तारीख को 15 अगस्त, 2020 तक बढ़ाया जाएगा ;
- (v) अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) की मद (i) में निर्दिष्ट धारा 54 या धारा 54छख या उक्त खंड के उपखंड (ii) के संबंध में है, वहां उसे पूरा करने या अनुपालन हेतु समय-सीमा के संबंध में अंतिम तारीख को और उसे पूरा करने या उक्त अनुपालन के लिए अंतिम तारीख क्रमशः 29 सितंबर, 2020 और 30 सितंबर, 2020 होगी ;
- (vi) अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (1) के उपखंड (i) की मद (i) में निर्दिष्ट उसके “ख. कतिपय संदायों की बाबत कटौतियां” शीर्षक के अधीन अध्याय 6-क के किन्हीं उपबंधों के संबंध में है, वहां पूरा करने या अनुपालन हेतु समय-सीमा के संबंध में अंतिम तारीख और उसे पूरा करने या उक्त अनुपालन के लिए अंतिम तारीख क्रमशः 30 जुलाई, 2020 और 31 जुलाई, 2020 होगी ; और
- (vii) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसके किसी उपबंध के लिए संपरीक्षा रिपोर्ट देने के संबंध में है, वहां अंतिम तारीख को 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के खंड (i) के उपखंड (ख) में यथानिर्दिष्ट तारीख का बढ़ाया जाना आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 234क के स्पष्टीकरण 1 को उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां ऐसी कुल आय पर, जो उक्त उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (vi) द्वारा कम की गई है, कर की रकम एक लाख रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 है, वहां 30 दिसंबर, 2020 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी, जिसके दौरान कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए उसमें विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित या अधिसूचित समय-सीमा आती है और 31 दिसंबर, 2020 वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक ऐसी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए समय-सीमा को बढ़ाया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2020 से प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं. 35 /2020/फा.सं. 370142/23/2020-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)